


उ०प्र० लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण पत्र का प्रपत्र।

कार्यालय जिलाधिकारी

संख्या.....

दिनांक.....



स्वतंत्रता संग्राम सनानी के आश्रित का प्रमाण-पत्र

उप जिलाधिकारी की आख्या दिनांक के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/स्व० पुत्र निवासी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) पुत्र पुत्र/पुत्री/पोत्र/(पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 के ही प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं।

स्थान:.....

दिनांक:.....

— हस्ताक्षण —

(प्रमाण कर्ता)

सैनिक आश्रित प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एक्स नं० रैंक

नाम पुत्र श्री

पता.....

जिला राज्य के निवासी है।

प्रार्थी ने कोर/रेजीमेण्ट में

दिनांक से तक सैन्य सेवा की है।

2- भूतपूर्व सैनिक का परिचय पत्र संख्या दिनांक

3- उपरोक्त भूतपूर्व सैनिक के निम्न आश्रित हैं:-

क्र०सं०	नाम	आयु (जन्म तिथि)	सम्बन्ध
1			
2			
3			
4			
5			

पत्रांक:

कार्यालय जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास

स्थान:

दिनांक:

— हस्ताक्षरण —

जिला सैनिक कल्याण एवं
पुनर्वास अधिकारी